संख्या-08/2019/255/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2019

विषय-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि का कोषागार के माध्यम से प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-18/2018/एन0जी0टी0382/55-पर्या-2-18/68(पर्या0)/2018 दिनांक 06-12-2018 सपठित शासनादेश संख्या-01/2019/04/55-पर्या-2-2019-68(पर्या0)/2018 दिनांक 04-01-2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विभिन्न वादों में भूतपूर्व न्यायमूर्तिगण की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की धनराशि रूपये 500.00 लाख (रू0 पाँच करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 52,27,786-00 (रू0 बावन लाख सत्ताइस हजार सात सौ छियासी मात्र) आहरित की गयी है।

2- उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि रूपये 52,27,786-00 (रू0 बावन लाख सत्ताइस हजार सात सौ छियासी मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्ष 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत-06-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन-42-अन्य व्यय में प्रावधान हो चुका है। अतः श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम, धनराशि रूपये 52,27,786-00 (रू0 बावन लाख सत्ताइस हजार सात सौ छियासी मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्ष "3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत-06-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्यूनरेशन-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। इस धनराशि का कोषागार से नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा उसे लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन" में जमा किये जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-225/दस-19 दिनांक 18-03-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-08/2019/255(1)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।